न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 शंकर लाल पुत्र श्री गोपी भील नि0 नाथडियास तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::–

श्री पृथ्वीराज चौधरी ––––– प्रार्थी अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.01.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 17.02.2022 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियाज सरहद नाथडियास पटवार हल्का बिलियाकलां भू0अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 554/1 रकबा 0.6323है0 भूमि स्थित है, जो प्राथीगण के नाम पर दर्ज है। जिसकी जमाबदी संवत 2078 मय नक्शा ट्रेस हमराह प्रार्थनापत्र साथ में पेश है। यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि आम रास्ता आराजी नम्बर 635 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 965/554 में से होकर रास्ता गाडी गडार जो करीब 20 फीट चौडा है, से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व लेकिन आराजी नम्बर 965/554 जो कि बिलानाम दर्ज होने व रास्ते के रूप में दर्ज नही होने से प्रभावशाली लोगो द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस पर प्रार्थीगण ने विपक्षी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु दिनांक 13/01/2022 को निवेदन किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा साफ तौर मना कर दिया। इस कारण से प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

(नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। यह है कि उपरोक्त खातेदार से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद नाथडियास तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद नाथडियास पटवार हल्का बिलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 554/1 रकबा 0.6323 हैक्टयर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता रास्ता जो कि आम रास्ता आराजी नम्बर 635 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 965/554 से होकर रारता गाडी गडार जो करीब 20 फीट चौडा है, से होकर अपनी आराजी नम्बर 554/1 मे आता जाता है, जहां करीब 20 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र के खनन मे किसी प्रकार से जवाब अथवा प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नही हुआ। तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/37 दिनांक 23.01.2025 से भू0अ0नि हमीरगढ एवं हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति व नजरी नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 965/554 रकबा 3.2157है0 में से 0.0050है0, में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या 371 में अंकित आराजी खसरा संख्या आराजी नम्बर 554/1 रकबा 0.6323 हैक्टयर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर 1095 से होकर गुजरता है जो कि बिलानाम सरकार दर्ज है।

उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल.सी दर की राशि से दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएवः

उपखण्ड अधिकारी

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा नाथडीयास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के आराजी संख्या 965/554 रकबा 3.2157 है में से 0.0050 है0 अर्थात 50 (10X5) वर्गमीटर भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0050है0 अर्थात 50 वर्गमीटर की मालियत राशि की दो गुना राशि(4440/–रू) प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 965/554 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा